



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27526

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1849 वर्ष 2026

अवनीश कुमार और 13 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : भगवान दत्त पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. पांडेय अर राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1990-91 और 1991-94 में वार्ड बॉय और स्वीपर-सह-चौकीदार के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4 और 13 को दिनांक 13.12.1998 और 30.10.1999 के आदेश द्वारा स्थायी कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्ति विनियमितीकरण (लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के पदों पर) नियमावली 1979 के नाम से एक विनियमितीकरण नियमावली है जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसके अनुसार प्रत्यर्थियों ने जिला मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के कर्मचारियों की सेवाओं को 2008 और 2011 में विनियमित किया है, लेकिन बाद में विनियमितीकरण पर उनके आदेशों को 2001 नियमावली के लागू होने की तिथि 20.12.2001 से संशोधित कर दिया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना रिट याचिकाकर्ता के दावे पर 2001 विनियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों के तहत 20.12.2001 से प्रभाव के साथ विचार करने के लिए है।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय दूसरे प्रत्यर्थी, निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
5. अदालत में दिए गए इस तरह के तर्क पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता **20.02.2026** तक दूसरे प्रत्यर्थी, निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, दूसरा प्रत्यर्थी पात्रता, उपयुक्तता और रिक्ति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"